

कपड़ा मंत्रालय
मांग संख्या 92
कपड़ा मंत्रालय

क. प्राप्तियों और वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष	राजस्व पूंजी जोड़	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		2481.50	583.03	3064.53	4076.60	697.48	4774.08	2481.50	723.50	3205.00
		18.50	240.48	258.98	15.72	349.20	364.92	18.50	165.50	184.00
		2500.00	823.51	3323.51	4092.32	1046.68	5139.00	2500.00	889.00	3389.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.50	10.50	...	12.55	12.55	...	14.68	14.68
ग्राम और लघु उद्योग										
हथकरघा उद्योग										
2. हथकरघा संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं										
2.01 समेकित हथकरघा विकास योजना	2851	10.00	...	10.00	9.72	...	9.72	10.00	...	10.00
	3601	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00
	जोड़	95.00	...	95.00	94.72	...	94.72	95.00	...	95.00
2.02 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	79.25	...	79.25	79.25	...	79.25	79.25	...	79.25
	3601	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75
	जोड़	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
3. अन्य हथकरघा योजनाएं										
3.01 विविध हथकरघा विकास योजना	2851	11.50	...	11.50	7.89	...	7.89	11.50	...	11.50
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	4851	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
	जोड़	15.00	...	15.00	10.39	...	10.39	15.00	...	15.00
3.02 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	19.00	19.00	...	24.06	24.06	...	30.00	30.00
3.03 मिल गेट मूल्य योजना	2851	25.00	...	25.00	29.59	...	29.59	25.00	...	25.00
3.04 विपणन संवर्धन कार्यक्रम	2851	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
	4851	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	जोड़	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
3.05 डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	4851
3.06 संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10% की विशेष छूट के अनुदान के लिए स्कीम	2851	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
	3601	...	38.00	38.00	...	53.00	53.00	...	18.50	18.50
	3602	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.01	0.01
	जोड़	...	39.40	39.40	...	54.40	54.40	...	19.51	19.51
3.07 अन्य	2851	...	10.42	10.42	...	13.00	13.00	...	15.06	15.06
	3601	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	3.50	3.50
	जोड़	...	11.92	11.92	...	14.50	14.50	...	18.56	18.56
जोड़-हथकरघा उद्योग		255.00	70.32	325.32	254.70	92.96	347.66	255.00	68.07	323.07
हस्तशिल्प उद्योग										
4. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं										
4.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	...	24.50	24.50	...	31.00	31.00	...	39.43	39.43
4.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	10.00	26.30	36.30	15.67	33.57	49.24	10.00	41.65	51.65
4.03 बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	46.09	...	46.09	33.89	...	33.89	46.09	...	46.09
4.04 विपणन सहायता और सेवाएं	2851	40.46	...	40.46	39.96	...	39.96	40.46	...	40.46
4.05 हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना	2851	53.60	...	53.60	56.54	...	56.54	53.60	...	53.60

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
4.06 अनुसंधान और विकास	2851	7.13	...	7.13	5.71	...	5.71	7.13	...	7.13	
4.07 मानव संसाधन विकास	2851	4.22	...	4.22	3.67	...	3.67	4.22	...	4.22	
4.08 अन्य	2851	...	18.20	18.20	...	21.83	21.83	...	27.00	27.00	
	4851	4.50	...	4.50	3.22	...	3.22	4.50	...	4.50	
जोड़- हस्तशिल्प उद्योग		166.00	69.00	235.00	158.66	86.40	245.06	166.00	108.08	274.08	
ऊन उद्योग											
5. ऊन विकास बोर्ड	2851	15.00	1.00	16.00	15.00	1.50	16.50	15.00	1.80	16.80	
रेशम उत्पादन											
6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	97.50	114.95	212.45	107.50	163.30	270.80	97.50	200.00	297.50	
7. अन्य रेशम कीटपालन योजनाएं	2851	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	
जोड़-रेशम कीटपालन उद्योग		97.50	116.25	213.75	107.50	164.60	272.10	97.50	201.30	298.80	
विद्युत्करघा उद्योग											
8. अन्य विद्युत्करघा योजनाएं	2851	10.00	1.70	11.70	12.30	2.22	14.52	10.00	2.90	12.90	
अन्य											
9.	2851	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		543.50	258.27	801.77	568.16	347.68	915.84	563.50	382.15	945.65	
उपभोक्ता उद्योग											
10. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी											
10.01 कपड़ा	2852	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00	
10.02 जूट	2852	...	38.00	38.00	...	38.00	38.00	...	46.51	46.51	
		जोड़	59.00	59.00	...	58.00	58.00	...	46.51	46.51	
11. वस्त्र आयुक्त	2852	...	14.22	14.22	...	17.30	17.30	...	21.50	21.50	
12. वस्त्र समिति का सहायता	2852	21.00	21.00	
13. कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम											
13.01 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	31.75	10.00	41.75	71.75	13.53	85.28	31.75	15.00	46.75	
13.02 अनुसंधान एवं विकास	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	
13.03 कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	
13.04 अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
13.05 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2852	1090.00	...	1090.00	2632.00	...	2632.00	1090.00	...	1090.00	
13.06 कपास प्रौद्योगिकी मिशन (केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम)	2852	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	
13.07 मूल्य सहायता के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	2852	...	149.00	149.00	...	157.90	157.90	...	140.00	140.00	
13.08 ईएमडी/बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.49	0.49	
13.09 समेकित कपड़ा पार्क सम्बन्धी योजना	2852	425.00	...	425.00	280.00	...	280.00	405.00	...	405.00	
13.10 अन्य	2852	34.75	5.84	40.59	20.19	7.07	27.26	34.75	5.42	40.17	
		जोड़	1634.50	205.84	1840.34	3056.94	219.50	3276.44	1614.50	200.91	1815.41
14. जूट आयुक्त	2852	...	2.70	2.70	...	3.34	3.34	...	4.24	4.24	
15. जूट-विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम											
15.01 जूट प्रौद्योगिकी मिशन	2852	72.00	...	72.00	58.00	...	58.00	72.00	...	72.00	
15.02 बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	30.00	30.00	...	36.60	36.60	...	30.00	30.00	
15.03 अन्य	2852	...	2.50	2.50	...	2.51	2.51	...	2.51	2.51	
		जोड़	72.00	32.50	104.50	58.00	39.11	97.11	72.00	32.51	104.51

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
16. ब्याज माफी										
16.01 ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	2852	390.80	390.80	
16.02 घटाइए-निवल प्राप्तियां निवल	0049	-390.80	-390.80	
17. ऋण का इक्विटी में परिवर्तन										
17.01 ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	4860	0.01	0.01	
जोड़-उपभोक्ता उद्योग	1706.50	314.26	2020.76	3114.94	337.26	3452.20	1686.50	326.67	2013.17	
नागरिक आपूर्ति										
18. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
18.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	6860	...	0.01	0.01	...	145.00	145.00	
18.02 राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	6860	...	240.10	240.10	...	178.70	178.70	...	140.00	
18.03 एल्लिन मिल्स	6860	...	0.01	0.01	
18.04 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	6860	...	0.35	0.35	...	0.49	0.49	...	0.50	
18.05 ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	6860	...	0.01	0.01	...	25.00	25.00	...	25.00	
19. सरकारी उद्यमों में निवेश	4860	
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान										
हथकरघा	2552	85.00	...	85.00	71.11	...	71.11	85.00	...	
4552	
जोड़	85.00	...	85.00	71.11	...	71.11	85.00	...	85.00	
हस्तशिल्प	2552	52.50	...	52.50	53.50	...	53.50	52.50	...	
4552	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	
जोड़	54.00	...	54.00	53.50	...	53.50	54.00	...	54.00	
रेशम कीटपालन उद्योग	2552	17.50	...	17.50	23.50	...	23.50	17.50	...	
जूट उद्योग	2552	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	
कपड़ा	2552	85.50	...	85.50	253.11	...	253.11	85.50	...	
जोड़	250.00	...	250.00	409.22	...	409.22	250.00	...	250.00	
कुल जोड़	2500.00	823.51	3323.51	4092.32	1046.68	5139.00	2500.00	889.00	3389.00	
ग. आयोजना परिव्यय:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	543.50	...	543.50	568.16	...	568.16	563.50	...	563.50
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	1706.50	...	1706.50	3114.94	...	3114.94	1686.50	...	1686.50
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	250.00	...	250.00	409.22	...	409.22	250.00	...	250.00
जोड़	2500.00	...	2500.00	4092.32	...	4092.32	2500.00	...	2500.00	

1. सचिवालय : इसमें मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए व्यवस्था है।
2. हथकरघा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

2.01 एकीकृत हथकरघा विकास योजना : यह योजना उन चार योजनाओं नामतः (i) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई), (ii) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, (iii) कार्यशाला सह हाउसिंग योजना और (iv) एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, जिन्हें 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, के आवश्यक संघटकों को शामिल कर अथवा बिना संशोधनों के हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य, स्पष्ट अस्तित्व

के रूप में बुनकर समूह की स्थापना, आत्मनिर्भर बनने के लिए हथकरघा बुनकर समूह विकसित करने, सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों से बुनकर शामिल करने के लिए साझी पहल, बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित गुणवत्ता के विविध उत्पादों का उत्पादन करने हेतु हथकरघा बुनकरों/ कामगारों का कौशल उन्नयन करने बुनकरों को उपयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने, ताकि वे संशोधित उत्पादकता वाले गुणवत्ता उत्पादों का उत्पादन कर सकें, पर ध्यान केंद्रित करना है।

2.02 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना : इस योजना के दो संघटक हैं (i) देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के

लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और (ii) प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी बुनकर योजना। स्वास्थ्य बीमा कवर न केवल बुनकर के लिए है बल्कि उसकी पत्नी एवं दो बच्चों के लिए भी है।

3. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** इसमें बुनकर सेवा केंद्रों के व्यय से संबंधित स्थापना के लिए प्रावधान; विविधीकृत हथकरघा विकास योजना, हथकरघा बुनकर संगठनों को सभी प्रकार के यार्न उस कीमत पर, जिस पर ये मिल गेट पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कराने के लिए मिल गेट मूल्य योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, जो हथकरघा एजेंसियों और बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराता है, शामिल है।

4. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** इनमें डिजाइन और तकनीकी उन्नयन, बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन एवं सहायता सेवा, जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज, के लिए प्रावधान शामिल है। विपणन सहायता और सेवा योजना में निर्यात संवर्द्धन के लिए विपणन सहायता से संबंधित मध्यस्थता भी शामिल होगी। कल्याण योजना में कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम और कारीगरों के स्वास्थ्य बीमा योजना और ऋण गारंटी योजना के लिए निधियां भी शामिल हैं। प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना को व्यापक बनाया गया है और इसमें विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, गुरु शिष्य परम्परा इत्यादि जैसी समान योजनाओं के संघटकों को शामिल कर के मानव संसाधन विकास योजना को पुनर्गठित किया गया है। जम्मू व कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज में वचनबद्ध देयताओं को सुकर बनाने के लिए निधियां शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास योजना में कारीगरों की गणना भी शामिल होगी। बजट में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए केंद्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनागत और प्रशासनिक व्यय के लिए आयोजना-भिन्न प्रावधान शामिल हैं।

5. **ऊन विकास बोर्ड:** इस योजना के तहत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास के लिए ऊन विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियाजनाओं के संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये योजनाएं हैं (i) एकीकृत ऊन उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम (ii) ऊन तथा ऊनी उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण (iii) भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को आयोजना-भिन्न के अधीन आबंटन शामिल किया गया है।

6. **केंद्रीय रेशम बोर्ड:** इस प्रावधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रशासन शामिल है। बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और उनमें उद्योग के समस्त पहलू शामिल हैं ताकि उसके नियंत्रणाधीन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके और इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का विपणन, सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने, अपरिष्कृत रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का उत्तरदायित्व शामिल है। बजटीय प्रावधान में कृषि आधारित रेशम उत्पादन उद्योग का विकास करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित सहायता और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य द्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती रेशम का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यचालन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियां लागू करके निर्यात आय बढ़ाना है।

7. **अन्य रेशम उत्पादन योजनाएं:** इस प्रावधान में रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

8. **अन्य विद्युतकरघा योजनाएं:** यह प्रावधान समूह बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों के कल्याण के लिए नए डिजायन प्राप्त करने के वास्ते विकेंद्रीकृत एवं लघु विद्युतकरघा एककों को सहायता देने के लिए कंप्यूटर साहायित डिजायन केंद्रों के वास्ते वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए; समूह कार्यशाला योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों को कार्य का बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं के निर्माण और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के प्रशासनिक खर्च के लिए अनुदान के वास्ते है।

9. **मेगा क्लस्टरों का विकास:** हथकरघा के लिए वाराणसी और शिवसागर, विद्युतकरघा के भिवंडी और इरोड और हस्तशिल्प के लिए नसरपुर और मुरादाबाद में मेगा समूह के रूप में विकास के लिए 6 केंद्र शुरू करना।

10. **पटसन पर उपकर वसूली में से भुगतान:** पटसन विनिर्माण विकास परिषद को विभिन्न निर्धारित कार्यों के लिए पटसन पर उपकर की वसूली करने की व्यवस्था है।

11. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है।

12. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को निर्यात के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी का लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

13. **वस्त्र विकास के लिए अन्य कार्यक्रम:**

13.01 **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट):** इस योजना में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के लिए और सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों में अवसररचना विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

13.02 **अनुसंधान और विकास:** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है।

13.03 **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले कामगारों के लिए पारगमन समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

13.05 **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके। यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों) द्वारा चलाई जा रही है।

13.06 **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना):** इस मिशन का कार्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है जिसका उद्देश्य कपास अनुसंधान और किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना, विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना और जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है। इस मिशन में 4 लघु मिशन शामिल हैं। लघु मिशन I और II कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और लघु मिशन III और IV का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय कर रहा है।

13.07 **भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है।

13.08 **ईपीसी को अनुदान:** यह प्रावधान परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसी) को भुगतान के लिए है।

13.09 **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, (एसआईटीपी) अपैरल वस्त्र पार्कों को मिलाकर और वस्त्र विकास केंद्रों की अवसररचना सुविधाओं का उन्नयन कर शुरू की गई है। एसआईटीपी शुरू करने का एक प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसररचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

13.10 **अन्य** : यह बजट प्रावधान मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), ब्रांड संवर्द्धन योजना, टैक्सटीपोलिस तकनीकी वस्त्रों फैशन हब, साझा अनुपालना कोड (सीसीसी), मानव संसाधन विकास, पटसन उद्योग सहित टैक्सटाइल इंजीनियरिंग आदि के लिए है।

- (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): वस्त्र क्षेत्र की उच्च संभावना की पृष्ठभूमि में इस योजना का उद्देश्य स्रोत देशों के बाजार अध्ययनों और संभावित निवेशकों के माध्यम से निवेश आकर्षित करना; निर्बाध एफडीआई प्रवाह के लिए संस्थागत व्यवस्था का पुनर्निर्माण और लक्षित संचार रणनीति विकसित करना है।
- (ii) ब्रांड संवर्द्धन योजना: यह प्रावधान इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया अभियानों के माध्यम से प्रचार सामग्री पर हुए व्यय के साथ-साथ विश्व के चुनिंदा लक्षित बाजारों में संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने; भारत केंद्रित शो एवं प्रदर्शनियां आयोजित करने; निर्यात उपायों में प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। उन क्रियाकलापों जिनके लिए प्रावधान किए गए हैं, उनमें मेलों और उत्सवों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, ब्रोशरों, फिल्मों और अन्य मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए विशेष रुचि दौरे और भारतीय उत्पादों के ब्रांडों का विकास भी शामिल है।
- (iii) टैक्सटिलपोलिस: इस योजना में व्यापार सुविधा केंद्र, आंकड़े संसाधन सहित भारतीय वस्त्र छवि ब्रांड और आर एंड डी केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह प्रावधान प्रदर्शनी और विक्रेता विचार-विमर्श केंद्र और साझा आंकड़े संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियामक सेवाओं के लिए वैश्विक खरीद केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र एकल खिडकी केंद्र जैसी निर्यात अवसंरचना और विपणन अवसंरचना, ब्रांड प्रशासन केंद्र, अन्यों के अलावा फैशन विकास केंद्र स्थापित करना शामिल है।
- (iv) तकनीकी वस्त्र: तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन की उच्च संभावना की पृष्ठभूमि में इस योजना में तकनीकी वस्त्र एककों का बेसलाइन सर्वेक्षण, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग के लिए जागरूकता पैदा करना, मानकों और गुणवत्ता निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया है।
- (v) फैशन केंद्र: योजना में सिंगल स्टॉप फैशन बिजनेस प्वाइंट के रूप में कार्य करने के लिए देश में एक फैशन केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यय केंद्र की स्थापना, एसेसरीज सहित वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विकासशील उत्पादन और डिजाइन अध्ययनों के लिए है।
- (vi) साझा अनुपालना कोड (सीसीसी): बहुपक्षीय प्रतिबंध मुक्त और उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों जैसी शुल्क मुक्त रुकावटों की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में यूरोपीय संघ, अमरीका आदि के बाजारों में बेस मिनिमल और उच्च परिष्कृत उत्पादों का वाणिज्यिक महत्व बढ़ गया है। योजना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार भागीदारी बढ़ाने के लिए देश में विनिर्माण इकाइयों द्वारा ऐसा सामाजिक और पर्यावरणीय अनुप लना कोड विकसित करने, कूटीकरण और जागरूकता के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कोडों को विकसित करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने और साथ ही साथ इसका पालन करने वाली इकाइयों को सहायता देने के लिए है।

(vii) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और उद्योग अनुसंधान संघ (टी आर ए): टी आर ए उद्योग संवर्धित निकाय हैं जो उत्पादन विकास, प्रक्रिया सुधार, परीक्षण, परामर्शी सेवा और उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए फाइबर के व्यापक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगे हुए हैं। इन योजनाओं में टीआरए की आरएंडडी क्षमताओं और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने, मल्टीफेरियस परियोजना संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों, तकनीकी आंकड़ों के लिए संसाधन बैंक का विकास करने और परीक्षण तथा डिजाइन सहायता एवं प्रत्यायन और प्रमाण पत्र सहायता के माध्यम से डिजाइन गुणवत्ता का विकास और अनुपालना के लिए सहायता हेतु प्रावधान किया गया है।

(viii) मानव संसाधन विकास (एच आर डी): इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण संस्थाओं के मौजूदा अवसंरचना के बीच के अंतर को पाटना है। ये प्रावधान नए केंद्र स्थापित करने, मौजूदा केंद्रों को उन्नत करने, पाठ्यक्रम डिजाइन और सामग्री का विकास करने, पाठ्यक्रम के प्रमाणीकरण, प्रशिक्षकों का विकास, पूल एवं प्रशिक्षण सामग्री, प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रशिक्षण एवं अवसंरचना के लिए वजीफा देने के लिए हैं।

(ix) वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग (टीईआई): वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग का विकास वस्त्र क्षेत्र की संभावित उपलब्धि के लिए अनिवार्य है। देश में टी ई आई की क्षमता का वर्तमान स्तर 11वीं योजना में एक्रिशनल वस्त्र मशीनरी के मांग के स्तर के अनुरूप नहीं है। योजना में टी ई आई के लिए आर एंड डी केंद्र विकसित करने और बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान मशीनरियों आदि के आधुनिकीकरण के विकास के लिए पूंजी सहायता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

14. **पटसन आयुक्त** : पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है। वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी संचालित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है।

15. **पटसन आदि के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम** : (i) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केंद्र, पटसन सेवा केंद्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजायन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता और विविधीकृत पटसन क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलापों के लिए योजनाएं चलाता है। (ii) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधीकरण तथा बाजार विकास आधुनिकीकरण जमा मशीनरी के माध्यम से मूल्यवर्धन एवं बाजार पहुंच और कौशल उन्नयन अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को योगदान देना है।

18. **सार्वजनिक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण** : यह प्रावधान मंत्रालय के तहत ऋण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, बर्ड जूट एवं निर्यात लि. और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

20. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान** : इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।